झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

संO-2/नOविO/विविध-32/10........... राँची, दिनांक-..............

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक No.-K-14012/101(18)/10-NURM-II (Part-III) द्वारा सूचना दी गई है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अर्बन रिन्यूअल मिशन से संबंधित National Steering Group (NSG) की दिनांक 24.11.09 की बैठक में निर्णय लिया गया है कि JnNURM के अन्तर्गत ली गई परियोजनाओं व Reforms के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण कार्य में चुने हुए जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसदों व विधायकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए । तद्नुसार निकाय/जिला स्तर पर समीक्षा व अनुश्रवण के लिए निम्न प्रकार से समितियों का गठन किया जाता है :-

राँची नगर निगम (UIG तथा BSUP के लिए) :-

1.	माननीय सांसद (लोकसभा क्षेत्र), राँची (यदि केन्द्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य अन्यथा राज्य मंत्रिमंडल के माननीय मंत्री)	अध्यक्ष
3.	विधायक, राँची विधानसभा क्षेत्र	सदस्य
4.	विधायक, काँके विधानसभा क्षेत्र	सदस्य
5.	विधायक, हटिया विधानसभा क्षेत्र	सदस्य
6.	विधायक, खिजरी विधानसभा क्षेत्र	सदस्य
7.	मेयर, राँची नगर निगम	सदस्य
8.	उपायुक्त, राँची	सदस्य
9.	श्री एOकेO सिंह, CVTC, राँची नगर निगम	सदस्य
10.	लेO कर्नल आरOसीOएनO शाहदेव	सदस्य
11.	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची नगर निगम	सदस्य सचिव

धनबाद नगर निगम (UIG तथा BSUP के लिए) :-

1.	माननीय सांसद (लोकसभा क्षेत्र), धनबाद	अध्यक्ष
3.	विधायक, धनबाद विधानसभा क्षेत्र	सदस्य
4.	विधायक, झरिया विधानसभा क्षेत्र	सदस्य
5.	विधायक, कतरास विधानसभा क्षेत्र	सदस्य
6.	विधायक, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र	सदस्य
7.	मेयर, धनबाद नगर निगम	सदस्य
8.	उपायुक्त, धनबाद	सदस्य
9.	2 प्रतिष्ठित नागरिक जिन्हें CVTC(City Volunteer Technical Corps) में से राज्य सरकार द्वारा मनोनित किया जाएगा ।	सदस्य
10.	प्रशासक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, धनबाद नगर निगम	सदस्य सचिव

3683
29-10-10

जमशेदपुर Urban Agglomeration (UIG तथा BSUP के लिए) :-

1.	माननीय सांसद (लोकसभा क्षेत्र), जमशेदपुर	अध्यक्ष
3.	विधायक, जमशेदपुर पूर्वी विOसOक्षेत्र	सदस्य
4.	विधायक, जमशेदपुर पश्चिमी विOसOक्षेत्र	सदस्य
5.	विधायक, जुगसलाई विOसOक्षेत्र	सदस्य
6.	विधायक, सरायकेला विOसOक्षेत्र	सदस्य
7.	अध्यक्ष, आदित्यपुर नगर पर्षद	सदस्य
8.	उपायुक्त, जमशेदपुर	सदस्य

उपायुक्त, सरायकेला - सदस्य

10. 2 प्रतिष्ठित नागरिक जिन्हें CVTC(City Volunteer Technical Corps) में से राज्य सरकार द्वारा मनोनित किया जाएगा । - सदस्य
11. विशेष कार्य पदाधिकारी, जुगसलाई नगरपालिका - सदस्य
12. विशेष कार्य पदाधिकारी, मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति - सदस्य
13. कार्यपालक पदाधिकारी, आदित्यपुर नगर पर्षद - सदस्य
14. विशेष कार्य पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति - सदस्य सचिव

<u>नोट:- धनबाद एवं जमशेदपुर (UA) में City Volunteer Technical Corps (CVTC) का गठन होने पर उनके सदस्यों का मनोनयन बाद में किया जाएगा ।</u>

3. JnNURM अन्तर्गत गैर-मिशन शहरों में UIDSSMT एवं IHSDP के तहत् स्वीकृत योजनाओं के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति निम्न रूप से गठित की जाती है :

1. माननीय सांसद (यदि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य) अन्यथा राज्य मंत्रिमंडल के माननीय मंत्री (जिनके चुनाव क्षेत्र में निकाय का अंश पड़ता हो । एक से अधिक मंत्रियों का क्षेत्र होने पर वरीयतम मंत्री) - अध्यक्ष
2. माननीय विधायक जिनके निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत संबंधित निकाय का अंश पड़ता हो । - सदस्य
3. संबंधित निकाय के अध्यक्ष - सदस्य
4. संबंधित जिला के उपायुक्त - सदस्य
5. संबंधित क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित नागरिक (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) - सदस्य
6. निकायों के विशेष/कार्यपालक पदाधिकारी - सदस्य सचिव

4. <u>(क) उपरोक्त समिति के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे :-</u>

(i) योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना ।

(ii) सुधार कार्यावली(Reforms) के प्रगति की समीक्षा करना ।

(iii) योजनाओं एवं सुधार कार्यावली के क्रियान्वयन में आए बाधाओं के निराकरण हेतु समीक्षा करना ।

(iv) JnNURM अन्तर्गत UIG/UIDSSMT/BSUP/IHSDP योजनाओं को समेकित करना एवं जिला एवं शहरी स्तरों पर योजनाओं के एकीकृत किए जाने का प्रयास करना ।

3683
29-10-10

<u>(ख) उपरोक्त समिति निम्न के अनुसार कार्य करेगी :-</u>

(i) समिति प्रत्येक तीन माह पर बैठक कर योजनाओं एवं सुधार कार्यावली की समीक्षा करेगी ।

(ii) समिति बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसाएँ संबंधित निकाय, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (GRDA Ltd) एवं राज्य सरकार को समर्पित करेगी ।

(iii) राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी का यह दायित्व होगा कि वह समिति की बैठक की कार्यवाही को Website पर अपलोड करे तथा उसकी प्रति MoUD एवं MoHUPA, भारत सरकार को उपलब्ध करावें । राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी यह भी सुनिश्चित करेगी कि समिति की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन हो एवं कृत कार्रवाई प्रतिवेदन राज्य सरकार, MoUD एवं MoHUPA, भारत सरकार

को प्राप्त हो जाए । समिति की कृत कार्रवाई प्रतिवेदन प्रत्येक बैठक के कार्य सूची में अवश्य शामिल किया जाए ।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(बी०के० जाजोरिया)
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-2/न0वि0/Reform-08/10..3683. राँची, दिनांक-29-10-10

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि गजट की 100 प्रतियाँ विभाग उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-2/न0वि0/Reform 08/10....3683. राँची, दिनांक-29-10-10

प्रतिलिपिः-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उपमुख्य (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव/सभी माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव/सभी माननीय सांसद(राज्यसभा सहित)/सभी माननीय विधायक/मेयर, राँची/धनबाद नगर निगम/सभी ~~स्थानीय~~ निकायों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, GRDA Ltd./मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची/धनबाद नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी नगर पर्षद/नगर पंचायत/नगरपालिका /अ0क्षे0स0/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग के आप्त सचिव/श्री ए0के0 सिंह, CVTC, राँची नगर निगम/ले0 कर्नल, आर0सी0एन0 शहदेव/नगर विकास विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-2/न0वि0/Reform-08/10....3683. राँची, दिनांक-29-10-10

प्रतिलिपिः सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार/संयुक्त सचिव-सह-मिशन निदेशक, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, फैक्स नं0: 011-23061300 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।